

11.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पायला खुर्द में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई है। जो विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


अपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत / कोर्ट केम्प-अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला खुर्द)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम ताहिर सम्मा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.173/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.भारमलराम पुत्र सोनाराम		1.पदमाराम
2.मूलाराम पुत्र शिवदान		2.मगाराम पिसरान लालाराम
3.रामाराम पुत्र सोनाराम		3.नवलारामपुत्र रामाराम
4.देराजराम पुत्र सोनाराम		4.मगाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी
5.रावताराम पुत्र सोनाराम		5.रुखमोंदेवी पत्नि चेनाराम
जाति जाट निवासी निम्बली		6.रामाराम पुत्र चेनाराम
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		7.वेहनाराम पुत्र चेनाराम
		8.हनुमानराम पुत्र चेनाराम
		9.अचलाराम पुत्र भीयाराम
		10.धर्माराम पुत्र भीयाराम
		11.लाखाराम पुत्र मुकनाराम
		12.दानाराम पुत्र मुकनाराम
		13.दुर्गाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी
		14.कुम्भाराम पुत्र शिवदानराम
		15.कालूराम
		16.पुखराज पिसरान रूपाराम जाति नाई निवासी निम्बली तहसील सिणधरी
		17. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकरतफा


आदेश

दिनांक-11.6.2018

1. संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 11 रकबा 188-09 बीधा तहसील सिणधरी की भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 11 रकबा 188-09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामीली श्रेणी में प्राप्त हुई है। लेकिन विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 11 रकबा 188-09 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 11 रकबा 188-09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
मौका फर्द दिनांक 23.3.17 एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन
किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम निम्बली
पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 11 रकबा 188-09 बीधा
के प्रार्थीगण रिकार्डड सहखातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी
संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। एवं फर्द मौका रिपोर्ट 23.3.17 में सेढे को लेकर
पक्षकारान में विवाद होना उल्लेखित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण काशत की सुविधा
हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस
तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को
प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगी। ऐसी
सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए
स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बली पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत
खसरा संख्या 11 रकबा 188-09 बीधा भूमि के संबंध विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के
जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस
500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी